

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या-21/2023

नजमा खातून बनाम् मो0 बदरुद्दीन उर्फ चुनु।

शुद्धि-पत्र

आयोग के आदेश ज्ञापांक-2765, दिनांक-17.06.2025 के विरुद्ध दायर रिट याचिका के सुनवाई के क्रम में आयोग के विद्वान रिटेनर श्री रवि रंजन द्वारा आयोग के संज्ञान में लाया गया कि आदेश के कंडिका-06 के अंतिम पारा में (पृष्ठ संख्या-03 के तल भाग एवं पृष्ठ संख्या-04 के प्रथम वाक्य में) टंकण भूलवश वादी के स्थान पर प्रतिवादी, प्रतिवादी के स्थान पर वादी टंकित हो जाने के फलस्वरूप उक्त पारा का अर्थ आयोग के आदेश के मूल तत्व के अनुकूल नहीं रह जाता।

उक्त त्रुटि के संज्ञान में लाये जाने पर त्रुटि का निराकरण करते हुये, त्रुटिपूर्ण अंश "उक्त वर्णित स्थिति में Unimpeachable साक्ष्य के अभाव में तथा "मेडिकल बोर्ड" द्वारा निर्धारित आयु प्रतिवादी द्वारा दिये गये, अभिलेखीय साक्ष्य के सन्निकट रहने के कारण वादी का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव प्रतिवादी को पदमुक्त करने के वादी के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।" को विलोपित किया जाता है। आयोग के उक्त आदेश ज्ञापांक को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

उक्त आदेश ज्ञापांक-2765, दिनांक-17.06.2025 के सभी शेष अंश यथावत समझे जायेंगे।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

23.07.2025

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-21/2023.....3181/

प्रतिलिपि-सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

23.07.2025

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक-23.7.25

विशेष कार्य पदाधिकारी